बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9470003023/9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :– * सआदत हसन मिन्टू
* राजेन्द्र राम
संयुक्त सचिव :– * राजयनन्द वाडियार
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्ष :– * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष :– * विनोद आनन्द

पत्रांक : 85

दिनांक 29.09.15

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के संदर्भ में नियमानुकूल कार्य सम्पादन नहीं होने के संदर्भ में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा निम्न बिन्दु पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है :–

(1) **पदस्थापन में वरीयता पदसोपान का अनुपालन नहीं होने के संदर्भ में** :–

इस संदर्भ में हाल में हुए स्थानान्तरण/पदस्थापन में वरीयता श्रृंख्ला को ध्वस्त कर दिया गया है जिसकी सूचना संघ के पत्रांक–78 दिनांक 12.08.2015 एवं पत्रांक–80 दिनांक 17.08.2015 द्वारा (प्रति संलग्न) दी गई है परन्तु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई साकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

(2) **बिहार संयुक्त परीक्षा 56वीं–59वीं हेतु 100 रिक्ति भेजे जाने, 101 अपर अनुमंडल पदाधिकारी का पद स्वीकृत किये जाने एवं BAS Rule के संबंध में** :–

(i) सामान्य प्रशासन द्वारा 56वीं–59वीं संयुक्त परीक्षा में 100 रिक्त भेजी गई है जबकि बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए स्वीकृत पद 851 के विरूद्ध वर्त्तमान में करीब 1125 सदस्य कार्यरत है जो स्वीकृत बल से लगभग 275 अधिक है इसके कारण मूल कोटि स्तर में 22 से 14 वर्ष की सेवा पूरी होने के उपरान्त भी कोई प्रोन्नति नहीं हो पायी है।

(ii) समान्य प्रशासन द्वारा ज्ञापांक–15378 दिनांक 11.11.2014 द्वारा 101 अपर अनुमण्डल पदाधिकारी का पद सृजित किया गया जबकि कार्यपालक दण्डाधिकारी का 147–147 पद राजस्व एवं ग्रामीण सेवा संवर्ग के लिए सृजित है। इसे समाप्त किये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि 101 पदों के विरूद्ध सेवा में आने वाले युवकों की भविष्य में प्रोन्नति की संभावना अत्यन्त ही क्षीण होगी और उनका भी भविष्य अंधकारमय होगा।

क्रमशः

6. **विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ करने के संबंध में :—**

प्रायः देखा जाता है कि अकारण पदाधिकारी पर प्रपत्र—'क' गठित कर विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जाती है जिससे पदाधिकारी का प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन का लाभ नहीं मिल पाता है परन्तु विभागीय कार्रवाई का फलाफल में पदाधिकारी निर्दोष पाये जाते है।

संघ का अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था की जाए बगैर ठोस प्रमाण के विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ नहीं हो सके।

अनुलग्नक :— यथोक्त।

ह0/—
(सुशील कुमार)
महासचिव

ह0/—
(सुरेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि :— अध्यक्ष/सचिव सभी जिला इकाई को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—
(सुशील कुमार)
महासचिव

प्रतिलिपि :— निदेशक, सभी दुरदर्शन को प्रसारणार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :— सम्पादक सभी दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी/अंग्रेजी) को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

24/09/15
(सुशील कुमार)
महासचिव